28.2.18 पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तरार्थी हाजिर। अपीलार्थी वकील हाजिर। बहस हेतु दिनांक 11.4.18

11.4.18

पेश

24.7.2018

12.6.2018 पत्रावली लोक अदालत – राष्ट्रीय अक्टूबर 2018 के तहत पेश हुई। वकील उत्तरार्थी हाजिर। अपील व वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस का अवलोकन किया। संक्षिप्त में प्रकरण का मनन किया। अपील प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी पत्नी स्व. भेरुलाल व रेस्पोन्डेन्ट नं 2 बेनीराम पिता भेरा मगनीराम के ससुर 1.3.1996 को पत्नी के पिता श्री द्वारा दिनांक रजिस्ट्री हम अपीलार्थी के पिता श्री द्वारा खरीद की गई जिसमें चाह नं. 1769 रकबा 0.05 बिस्वा जिसके वर्तमान आ.नं. 3224 रकबा 0.02 है। 3225 रकबा 0.02 है बेचे थी अपील रेस्पोन्डेन्ट 2 के नाम से विरासत से ना. क्र 1782 दिनांक 20.1.2017 को दर्ज किया गया है। जिसे रेस्पोन्डेन्ट नं 2 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट नं 3

कि. राठ

जगदी

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को बेचने पर आमदा है। उक्त रजिस्ट्री नहीं होकर अधीनस्थ न्यायालय के कानूनी भूल भी है। उक्त आराजी नम्बर अपीलान्टगण के पिता जी को जरिये रजिस्ट्री बेचान कर दी थी। हम अपीलान्टगण ~~[illegible]~~ के पिता जी द्वारा पूर्व में नामान्तरकरण खोल दिया था परन्तु भूल के सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा चाहे गा नामान्तरकरण नहीं खोला गया। तत्पश्चात् बेणी राम का देहान्त हो जाने से नगीराम पिता मु. सगीबाई के नाम ग्रा. पंचायत द्वारा विरासत का नामान्तरण खोल दिये जो गलत है। रजिस्ट्री की जानकारी नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय से भूल की है। अन्त में प्रार्थना की ग्रा. प. का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। हमने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया। [illegible] साक्षियान [illegible] कानूनी का ता.प. प्रस्तुत किया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब में स्व. बेणी राम जो अपीलान्टगण के पिता स्व. मांगी लाल [illegible] ने दि० 23.2.1996 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये मौजा गांगरवा की खा०० 1763,1764 1765,1766,1767,1768,1770,1771 कुल किता 8 कुल रकबा 10 बीघा जमीन विक्रय की विक्रय पत्र का पंजीयन दि. 1.3.1996 को करवाया था इसके अलावा स्व. बेणीराम की आ.न. 1769 जिसके हाल पैमायश से आ.न. 3224, 3225 बने है वह विक्रय नहीं की गई [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी हु
	के नाम पर दर्ज हुई और उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा श्रीमती शान्ती बाई रेस्पोन्डेन्ट न 2 के नाम पर दर्ज हुई थी और श्रीमती शान्ती बाई ने उक्त आराजीयात में स्थित अपने 2/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट न 3 प्रार्थिया को दि 15.9.17 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर कब्जा सौंप दिया है तथा बकाया 1/6 हिस्सा अभी भी रेस्पोन्डेन्ट न 2 के नाम पर है, इस प्रकार उक्त आराजीयात को अपीलान्ट के पिता द्वारा क्रय करना गलत है अतः निरस्त फरमाया जावे। हमने की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रतिलिपि का अवलोकन किया जिसके 1769 आराजी को बेवीशाम ने विक्रय नहीं किया था। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड रूम हो। आदेश सुनाया गया।	
	(अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)	